"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 207] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 5 जून 2018 — ज्येष्ठ 15, शक 1940

लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 31 मई 2018

अधिसूचना

क्रमांक 2635/722/2018/19/तक–4. — छत्तीसगढ़ राजमार्ग अधिनियम, 2003 (क्र. 12 सन् 2003), के अध्याय–दो की धारा 3 के खण्ड (तीन) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार एतद्द्वारा, नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट, निम्नलिखित मार्गों को मुख्य जिला मार्ग घोषित करती है, अर्थात् :–

सारणी

स. क्र.	मार्ग का नाम	जिला का नाम	लंबाई कि.मी.
1	2	3	4
1	अरसीटोला से गैंदाटोला मार्ग	राजनांदगांव	16.00
2	राष्ट्रीय राजमार्ग से महाराजपुर बरेठटोला मार्ग	राजनांदगांव	11.60
3	सड़कचिरचारी जोब भर्रीटोला गेरूघाट भकुर्रा बुचाटोला मार्ग	राजनांदगांव	27.70
4	गेंदाटोला छुरिया खोभा मार्ग	राजनांदगांव	21.30
5	खुज्जी पागंरीकला मरकाकसा मार्ग	राजनांदगांव	23.10
6	तेदुनाला दर्राबांधा अड़ाम आसरा कोकपुर मार्ग	राजनांदगांव	10.60
7	कोपेडीह खैरी केसला अर्जुनी मार्ग	राजनांदगांव	8.10
8	कोहका दिवानझिटिया गोडरी अर्जुनी मार्ग	राजनांदगांव	9.60
9	सिंघोला से खुर्सीपार मार्ग	राजनांदगांव	18.10
10	गुडरदेही उमरवाही गोडलवाही मटिया करमरी मार्ग	राजनांदगांव	26.50
11	बुचाटोला सीताकसा बेलरगोंदी माथलडबरी मार्ग	राजनांदगांव	20.40
12	दाउटोला दैहान जोशीलमती पढानढोड़गी गहिराभेड़ी मार्ग	राजनांदगांव	24.90
13	सोमाझिटिया बदराटोला बेलरगोंदी सीताकसा मार्ग	राजनांदगांव	24.10
14	बेलगांव पलान्दुर केसली सहसपुर मोहारा मार्ग	राजनांदगांव	14.70

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे.एम. लुलु, उप सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 31 मई 2018

क्रमांक 2635/722/2018/19/तक–4. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 248 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 2635/722/2018/19/तक–4, दिनांक 30–05–2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे.एम. लुलु, उप सचिव.

Naya Raipur, the 31st May 2018

NOTIFICATION

No. 2635/722/2018/19/T-4. — In exercise of the powers conferred by clause (iii) of Section 3 of Chapter II of the Chhattisgarh Rajmarg Act, 2003 (No. 12 of 2003), the State Government, hereby, declares the following roads, specified in the Table below, as Major District Roads, namely :-

TABLE

S.No.	Name of Road	Name of District	Length (K.m.)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Arsitola to Gendatoal Road	Rajnandgaon	16.00
2	National Highway to Maharajpur Barethtola Road	Rajnandgaon	11.60
3	Sadakchirchari Job Bharritola Gerughat Bhakurra Buchhatola Road	Rajnandgaon	27.70
4	Gendatola Chhuriya Khobha Road	Rajnandgaon	21.30
5	Khujji Pangrikala Markakasa Road	Rajnandgaon	23.10
6	Tendunalla Darrabandha Adam Aasra Kokpur Road	Rajnandgaon	10.60
7	Kopedih Khheri Keshla Arjuni Road	Rajnandgaon	8.10
8	Kohka Diwanjitiya Godri Arjuni Road	Rajnandgaon	9.60
9	Singhola to Khursipar Road	Rajnandgaon	18.10
10	Gundardehi Umarvahi Godalwahi Matiya Karmari Road	Rajnandgaon	26.50
11	Buchatola Sitakasha Belargondi Mathaldabri Road	Rajnandgaon	20.40
12	Dautola Dehan Joshilmati Padhandhodgi Gahirabhedi Road	Rajnandgaon	24.90
13	Somajhitiya Badratola belargondi Sitakasa Road	Rajnandgaon	24.10
14	Belgaon Palandur Kesali Sahaspur Mohara Road	Rajnandgaon	14.70

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
J.M. LULU, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2018.